वार्षिक प्रतिवेदन

2007-08 और 2008-09

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन

नौवीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-वस्तु

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.

2007-08 और 2008-09

1.	प्रस्तावना	1 - 9
2.	प्रमुख गतिविधियां/कार्यकलाप	10 - 19
3.	वित्तीय स्थिति	20 - 22
4.	अनुबंध	23 - 45

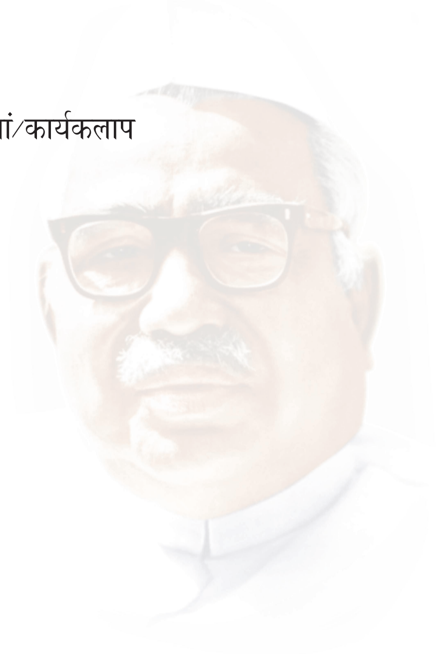

1

अध्याय

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

बाबू जगजीवन राम जिन्हें स्नेहपूर्वक बाबू जी कहा जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा और दलित वर्ग के मसीहा थे। सार्वजनिक जीवन में उनके अत्याधिक उत्थान के फलस्वरूप वे एक श्रेष्ठ और लोकप्रिय राजनीतिक नेता के रूप में उभरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे आधुनिक राजनीति के पुरातन युग के नेता थे। एक राष्ट्रीय नेता, महान संसदविद्, तीन दशकों से अधिक समय तक केन्द्र सरकार में मंत्री और दलित वर्ग के नेता के रूप में उनकी अद्भुत उपस्थिति दर्ज की गई और वे भारतीय राजनीति में पचास वर्ष से अधिक समय तक अपनी लंबी पारी खेले। उनकी सहिष्णु और सर्वोत्कृष्ट बीसवीं सदी की राजनीतिक विरासत हमें भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के उत्साह, आदर्शवाद और अदम्य साहस की याद दिलाता है जिन्होंने न केवल संघर्षरत रहकर देश को आजादी दिलाई अपितु एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की मजबूत नींव भी डाली। राजनीतिक नेतृत्व के निमित्त उत्साह के धनी और पूरे देश की सामाजिक -राजनीतिक घटनाक्रम के आदर्श और लक्ष्यों से प्रेरित होकर बाबू जगजीवन राम ने हमारे देश के राजनैतिक और संवैधनिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक उत्साही नेता, सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में उन्हें सर्वत्र अत्यधिक सम्मान मिला। अपने नेतृत्व की गुणवत्ता और संगठनात्मक योग्यता के लिए अत्यधिक सराहनीय भूमिका में होने कारण भारतीय राजनीति में उनकी गणना हमेशा प्रथम पंक्ति के नेताओं में हुई। वे एक महान भक्त, विद्वान राजनेता, बहुप्रतिभावान और कुशाग्र व्यक्तित्व, उत्कृष्ट व प्रखर वक्ता, लब्धप्रतिष्ठ सांसद, सच्चे लोकतांत्रिक प्रणेता और देश के महान प्रशासक थे। देशभक्ति की गहरी भावना से ओत-प्रोत होकर उन्होंने समतामूलक समाज के निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया।

बाबू जगजीवन रामजी ने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिए बहुत अधिक कार्य किया है। वे स्वयं बिना किसी बाहरी सहायता के आगे बढ़े और उन्होंने न केवल केन्द्रीय मंत्रालय में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री पद को सुशोभित किया अपितु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने क साथ-साथ शोषित और दलित वर्ग को सुयोग्य नेतृत्व भी प्रदान किया।

रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा तैयारी के मामले में देश को प्रोत्साहित किया, कृषि मंत्री के रूप में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाई, रेल मंत्री के रूप में रेल का विस्तार किया, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को शामिल किया और सशस्त्र सैन्य बल के कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार किया और इस प्रकार जिस किसी भी क्षेत्र का भार उन्हें सौंपा गया उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी।

जनता और बाबूजी के अनुयायियों की निरंतर मांग पर उनकी जन्मशती के उपलक्ष में और उनके आदर्श जीवन दर्शन और देश के शोषित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग के लिए दी गई सेवा का प्रचार-प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम बाबू जगजीवन राम की स्मृति में एक राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया। 3 जुलाई, 2007 को योजना आयोग ने 50 करोड़ की एकबारगी कायिक निधि से बाबू जगजीवन राम का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। (अनुबंध-1)

राष्ट्र और समाज के प्रति बाबू जगजीवन राम के महान योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उनके आदर्श, जीवन दर्शन और मिशन, जातिविहीन और वर्ग विहीन समाज का सृजन करने, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित, उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग जिन्हें समाज में खड़ा होने और सम्मानित जीवन व्यतीत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है, उनके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष संबंधी उनके दर्शन का प्रचार-प्रसार करने के लिए 50 करोड़ रूपये की कायिक निधि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में "बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 14 मार्च 2008 को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण संख्या एस/61519/2008 द्वारा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को रजिस्टर्ड किया गया - (अनुबंध-दो) प्रतिष्ठान के संस्थापक सदस्य निम्नानुसार हैंः-

1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	सदस्य सचिव
7.	श्री आर.एल. भगत	सदस्य और कोषाध्यक्ष
8.	श्री एस. आनंद बाबू	सदस्य
9.	श्री बी.एल. मंडेलिया	सदस्य
10.	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य
11.	श्री एम कुप्पुसामी	सदस्य
12.	श्री ए.आर. संथालिया	सदस्य
13.	श्री राम रत्तन	सदस्य
14.	श्री रूप चंद	सदस्य
15.	श्री परिमल आर. सोलंकी	सदस्य

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का संगठनात्मक ढांचा

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि, लेखा और लेखापरीक्षा, बैंकिंग, उद्योग, कला, संगीत और फिल्म आदि जैसे विभिन्न संकाय से बाबू जगजीवन राम के आदर्श को आगे बढ़ाने में रूचि रखने वाले व्यक्तियों में से 3 वर्ष की समयावधि के लिए नामित 31 सदस्य। समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से भी व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) बाबू जगजीवन राम के परिवार से अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा नामित कम से कम एक व्यक्ति होगा और वह पुरूष अथवा महिला शासी निकाय का सदस्य भी होगा/होगी। नामिती के विकल्प के संबंध में बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों का निर्णय अंतिम होगा और इसे प्रभावी किया जाएगा। बाबू जगजीवन राम के पारिवारिक सदस्यों में उनकी पुत्री , दामाद, नाती, नातिनी और उनके पति/पत्नियां आते हैं। बाबू जगजीवन राम के परिवार ने श्री वी.एन. डालमिया को अपनी नामिती के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है। श्री वी.एन. डालमिया बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं।

(iii) कोई व्यक्ति जिसे सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वह फाउण्डेशन के साधारण निकाय और फाउंडेशन की शासी निकाय का पदेन सदस्य भी होगा। डॉ.ओ.पी. मौर्य को बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है इसलिए वे बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी और शासी निकाय के सदस्य हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी के लिए इक्कीस (21) सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया। जिससे जनरल बॉडी में सदस्यों की संख्या बढ़कर 29 हो गई इसमें पदेन सदस्य और परिवार के नामिती शामिल नहीं हैं। जनरल बॉडी तथा शासी निकाय के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है:-

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी के मनोनीत सदस्यों की सूची

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी के मनोनीत सदस्य निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आर.एल. भगत कोषाध्यक्ष	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	14.3.2008
2.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2, वीरसामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	14.3.2008

3.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202, हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	14.3.2008
4.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	14.3.2008
5.	श्री राम रतन	ग्राम शमशाबाद, पलवल, हरियाणा	14.3.2008
6.	श्री रूप चंद	ए-1/412/13, नंद नगरी, दिल्ली।	14.3.2008
7.	श्री परिमल सोलंकी	5, नवीनदचंद्र पार्क, शाहीबाग, अहमदाबाद	14.3.2008
8.	श्री बी.एल. मंडेलिया	निर्भय भवन, पड़ाव, ग्वालियर (एमपी)	14.3.2008
9.	श्री ए.आर. संथालिया	23/24, राधा बाजार स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता-1	14.3.2008
10.	श्रीमती राज रानी पूनम, एमएलए	41, लतीफ गार्डन, पानीपत (हरियाणा)	08.4.2008
11.	श्री ए.एन. पाठक, आईपीएस	13, न्यू एमएलए कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल-3 (मध्य प्रदेश)	08.4.2008
12.	श्री राकेश खन्ना	ए2/21, आजाद अपार्टमेंट्स, श्री अरविन्दो मार्ग, हौज खास, आईआईटी गेट, नई दिल्ली	08.4.2008
13.	श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट	196, गुलमोहर एन्कलेव, नई दिल्ली-49	08.4.2008
14.	डॉ. कौशलेन्द्र कुमार सिंह	सुमित्रा सदन, सुमित्रा देवी पथ, साउथ मंदिरी, बेली रोड, पटना-1, बिहार	11.4.2008

15.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	क्वा. नं. 82, सेक्टर-3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	17.11.2008
16.	श्री राम प्यारे राम	बी-4/89, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	03.12.2008
17.	श्री रंजन कुमार सिंह	हाउस नं. 1402, त्रिशुल अपार्टमेंट्स, कोशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	03.12.2008
18.	डॉ. यू.एस. अवस्थी, एमडी, आईएफएफसीओ	आईएफएफसीओ सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017	03.12.2008
19.	श्रीमती नवरेखा शर्मा	ए-109, एफएफ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-65	03.12.2008
20.	सुश्री अभिलाषा सिंघवी	बी-8, साऊथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-48	03.12.2008
21.	प्रो. टी.वाई. भूथैय्या	डोर नं. 196, 14 क्रॉस, 1 मेन "पार्वती निलय", जयानगर, मैसूर-570014, कर्नाटक	03.12.2008
22.	डॉ. शांता भार्गव	123, सुन्दर नगर, नई दिल्ली	03.12.2008
23.	पिंसिपल जाफर अली खान	प्लॉट नं. 415, शाहजादा बाग, फेज-1, इंद्रलोक, दिल्ली-35	03.12.2008
24.	श्री सर्वेन्द्र के. वर्मा, एडवोकेट	जगत नारायण रोड, कदम कुआँ, पटना-3	24.12.2008
25.	श्रीमती ममता भूपेश, एमएलए	23, इंदिरा कॉलोनी, आगरा रोड, दौसा (राजस्थान)	26.2.2009
26.	फादर निर्मल डेविड	चर्च ऑफ रिडेमप्शन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	26.2.2009

27.	सुश्री शोभना नारायण	डी-II/301 पंडारा रोड, नई दिल्ली	26.2.2009
28.	उस्ताद इकबाल खान	1595, सुईवालान, मौसीकी मंजिल, दरियागंज, दिल्ली-110002	26.2.2009
29.	डॉ. एल. हनुमंथैय्या, पूर्व एमएलसी	207ए, थर्ड क्रॉस, सेकेन्ड ब्लॉक, थर्ड स्टेज, बसावेसवरानगर, बंगलोर-79	26.2.2009

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का शासी निकाय

प्रतिष्ठान का शासी निकाय निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बना हैः

(क) सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष है।

(ख) कार्यकारी उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के नियम और विनियम के अनुच्छेद 3 के 3.1 के उपखण्ड (छ) के अनुसार बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) सदस्य सचिव जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फाउण्डेशन की ओर से अनुबंध के आधार पर फाउण्डेशन के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, वे शासी निकाय के पदेन सदस्य होंगे।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(ड) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (एससीडी) शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(छ) जनरल बॉडी के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष शासी निकाय के सदस्य हैं।

(ज) जनरल बॉडी के सदस्यों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य तीन वर्ष की समयावधि तक शासी निकाय के सदस्य हैं। माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ने जनरल बॉडी के निम्नलिखित तीन सदस्यों को शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया हैः

1. श्री एस. आनंद बाबू
2. श्री महेन्द्र सिंह
3. श्री एम. कुप्पूसामी

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	केन्द्रीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	10, दरियागंज, दिल्ली-110002	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	श्री आर.एल. भगत, सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स मुनीरका, नई दिल्ली-110067	सदस्य सचिव
7.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202 हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	सदस्य
8.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य
9.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2 वीरासामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	सदस्य

डॉ. ओपी. मौर्य, सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने 17 नवंबर, 2008 को सदस्य सचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया जिसे माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया और 17 नवंबर, 2008 को हुई शासी निकाय की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। श्री आर.एल. भगत, कोषाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया और 17 नवंबर, 2008 को हुई शासी निकाय की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। शासी निकाय ने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को फाउंडेशन के नियम के अनुसार कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए प्रधिकृत किया था। 17 नवंबर 2008 को हुई बैठक में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की शासी निकाय ने फाउंडेशन के सदस्य सचिव को 20,000/- रूपये प्रतिमाह और कोषाध्यक्ष को 15,000/- रूपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने को अनुमोदित किया था।

कार्यालय परिसर

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का पंजीकृत कार्यालय कमरा सं. 739ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1 में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 13.5.2008 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के लिए जीवन प्रकाश बिल्डिंग, नौवां तल, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 में तीन कमरा आवंटित किया गया है। कमरों का नवीकरण किया गया और अंततः फरवरी, 2009 में बाबू जगजीवन राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का कार्यालय 9वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के उद्देश्य

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना बाबूजी के आदर्श और जीवन दर्शन और मिशन, जातिविहीन, वर्गविहीन समाज का सृजन करने संबंधी उनके दर्शन, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित, उपेक्षित और कमजोर वर्ग जिन्हें समाज में खड़ा होने और सम्मानित जीवन जीने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है, उनके लिए सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर संघर्ष का प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैंः-

1. बाबू जगजीवन राम से संबंधित व्यक्तिगत पत्रों और अन्य ऐतिहासिक सामग्री का संग्रहण, अर्जन, अनुरक्षण, संरक्षण करना।
2. बाबू जगजीवन राम के जीवन और कार्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और संवर्धन करना और सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध लड़ाई के लिए सूचना का प्रसार करना।
3. प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुसरण में पुस्तकें, मैगजीन, डाक्यूमेंटरी फिल्में, पत्र, पम्फलेट और जानकारी प्रकाशित, व्यवस्थित और वितरित करना।
4. बाबू जगजीवन राम से जुड़े स्थानों का अर्जन, संरक्षण और सुरक्षा करना और स्मारक बनाना।
5. दिल्ली और पूरे भारत में बाबू जगजीवन राम की जन्म वर्षगांठ और बरसी में कार्यक्रम और उनके जीवन की घटनाओं की याद में अन्य कार्यक्रम आयोजित करना।
6. बाबू जगजीवन राम के लेख और भाषणों के आधार पर स्कीम शुरू करना, चलाना और कार्यान्वित करना और फीचर फिल्में बनाना।

7. अनुसूचित जाति समुदाय के कलाकर जिन्हें ऊपर उठने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला उन्हें प्रोत्साहित करना और पिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनके आदर्शों और स्मृति का प्रसार करना।

8. विशेष रूप से तैयार की गई विकास योजनाओं के माध्यम से समाज के अन्य कमजोर वर्गों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन देना और संवर्धन करना।

9. अस्पृश्यता और जाति आधारित भेद-भाव के उन्मूलन के लिए समाज के सोच में बदलाव लाने के लिए विशेष स्कीमों का कार्यान्वयन करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए विभिन्न स्कीमों को चलाना और उनका कार्यान्वयन करना।

10. अनुसूचित जातियों से संबंधित समकालीन विषयों पर ऐसे स्थान और समय, जैसा कि निर्धारित किया जाए सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना।

11. अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण को जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रेरित करना और उसका समर्थन करना।

12. अनुसूचित जातियों के विकास को प्रोत्साहन देने वाले संगठनों की सहायता करना।

2

अध्याय

मुख्य कार्यकलाप

2007-08

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान मात्र अठारह दिन तक अस्तित्व में था, अतः इस दौरान शासी निकाय की एक बैठक के अलावा कोई मुख्य कार्यकलाप नहीं हुआ।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय की पहली बैठक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की माननीय मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में 24 मार्च, 2008 को पूर्वाहन 11 बजे उनके कक्ष अर्थात् कमरा सं. 202, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में हुई इस बैठक में बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की गई जिनकी पावन स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई थी।

बैठक में निम्नलिखित संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गयाः-

क) फाउंडेशन के नाम से बैंक खाता खोलना,

ख) 5 अप्रैल 2008 को समता स्थल और 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली में बाबू जगजीवन राम जी की 100वीं जन्म वर्षगांठ मनाया जाना।

ग) बाबूजी की 100 वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर उनकी स्मृति में 5 अप्रैल, 2008 को बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाना।

फाउंडेशन के सदस्य सचिव को सभी आवश्यक कागजात, आवेदन अथवा यथावश्यक किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तथा अन्य व्यक्ति अथवा एटर्नी की नियुक्ति करने अथवा फाउंडेशन के लिए पैन और टैन प्राप्त करने के लिए और रजिस्ट्रीकरण कराने तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(क) और धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने जैसे समय-समय पर यथापेक्षित कार्य करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत भी किया गया।

शासी निकाय के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित कृत्य किए गएः-

1. 28 मार्च, 2008 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नाम से इंडियन आवरसीज बैंक, 70, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में फाउंडेशन का बचत खाता खोला गया जिसका खाता संख्या 17335 है। बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष और कार्यकारी उपाध्यक्ष अर्थात् श्री वी.एन. डालमिया, कार्यकारी उपाध्यक्ष और श्री आर.एल. भगत, कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से इस खाते को ऑपरेट किया जाएगा।
2. समता स्थल और 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली में बाबूजी की जन्म वर्षगांठ मनाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई
3. बाबूजी की 100वीं वर्षगांठ के भव्य आयोजन हेतु विशेष कार्रवाई शुरू की गई

2008-09

जन्म वर्षगांठ उत्सव, 5 अप्रैल, 2008

1. बाबू जगजीवन राम की जन्मशती वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान की स्थापना की गई। बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फउंडेशन द्वारा भव्य समारोहों का आयोजन किया गया। 14 मार्च, 2008 को फाउंडेशन बनने के बाद बाबूजी की जन्मशती के अवसर पर पहला उत्सव 5 अप्रैल, 2008 को मनाया गया। प्रातः सवेरे राजघाट के सामने समाधि स्थल जिसे समता स्थल के नाम से जाना जाता है, पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार और भारी संख्या में केन्द्रीय मंत्रीगण, संसद सदस्य, गण्यमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और बाबूजी के अनुयायियों और प्रशंसकों ने भाग लिया।

5 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में समता स्थल, राजघाट में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार।

2. 5 अप्रैल 2009 को 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी के सरकारी आवास पर एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसमें सभी धर्मों के धार्मिक गंथो से मंत्रोच्चार किए गए तथा संगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। इसमें बहुत से सुप्रसिद्ध गणमान्य लोग और बाबूजी के अनुयायी उपस्थित थे।

5 अप्रैल, 2008 को 6, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी।

3. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान की पहल पर लोक सभा द्वारा संसद भवन की मुख्य बिल्डिंग में स्थित बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने संबंधी समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों ने संसद में बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। संसद सदस्यों के अलावा, बाबूजी के परिवार के सदस्य और भारी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की।

5 अप्रैल, 2008 को संसद भभवन में बाबूजी को श्रद्धांलि अर्पित करते हुए लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी

4. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान के सहयोग से समता संवर्धक संघ द्वारा दिल्ली में एक विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया जिसमें बाबूजी के जीवन, उनकी उपलब्धियां और कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया। यह शोभा यात्रा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रष्ठिान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार द्वारा शुभारंभ किए जाने के पश्चात लाल किला से आरंभ हुई और चांदनी चौक, खाड़ी बावली, जीबी रोड, दरियागंज, दिल्ली गेट से होकर दिल्ली गेट के पास जाकर समाप्त हुईं बाबूजी के बहुत से अनुयायियों ने इस यात्रा में भाग लिया।

5. जन्मशती वर्ष समारोह जो वर्ष भर मनाया गया, इसका समापन समारोह संसद भवन के बालयोगी सभागार में मनाया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने इस अवसर पर प्रमुख अभिभाषण दिया। बाबू जगजीवन राम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी माता-पिता से जोर देकर आहवान किया कि बाबू जगजीवन राम की माता वसंती देवी की तरह जिन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि सामाजिक और आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद उनके बच्चे को शिक्षा मिले वे भी सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे, बालक और बालिकाएं दोनों स्कूल जाएं इसके फलस्वरूप एक ऐसी विरासत उत्पन्न हुई कि सामाजिक और राजनैतिक कार्यकलापों तथा बेहतर समाज के निर्माण की निरंतर खोज में युवा पीढ़ियों के लिए वे सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भाषण का पूर्ण पाठ

अनुबंध - III में दिया गया है। डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बाबूजी के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबूजी के जीवन और कार्य से आज भी प्रेरणा मिलती है। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष, महान प्रशासक और भारत माता के बड़े सपूत थे जिन्होंने निरंतर दलित और उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। भाषण का पूर्ण पाठ अनुबंध-IV में दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर थी।

महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील द्वारा 5 अप्रैल, 2008 को बाबू जगजीवन राम का प्रथम ममोरियल लेक्चर, बालयोगी सभागार, संसद भवन, नई दिल्ली

- बाबू जगजीवन राम द्वारा निर्धारित मानक और उनके आदर्श राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण विरासत है।

  - महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील

- बाबूजी एक सच्चे राष्ट्रवादी, एक सच्चे धर्मनिरपेक्षवादी महान प्रशासक और भारत माता के महान सपूत थे। वे दलित ओर उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।

  - भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह

6. मेमोरियल लेक्चर के दौरान श्रेष्ठ और सुविख्यात साहित्यकार अर्थात राष्ट्र कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, डॉ. रामकुमार वर्मा, श्री कपिलदेव नारायण सिंह 'सुहिंद', श्री मौलाना सईद अहमद उल्ला कादरी, डॉ. लक्ष्मी मित्तल सिंघवीं, श्री गोपाल प्रसाद व्यास, श्री राजेन्द्र कृष्ण, श्री बिहारी लाल हरित, श्रीमती मीरा कुमार द्वारा लिखी गई कविताओं का एक काव्य संग्रह 'काव्यांजलि' का विमोचन किया गया।

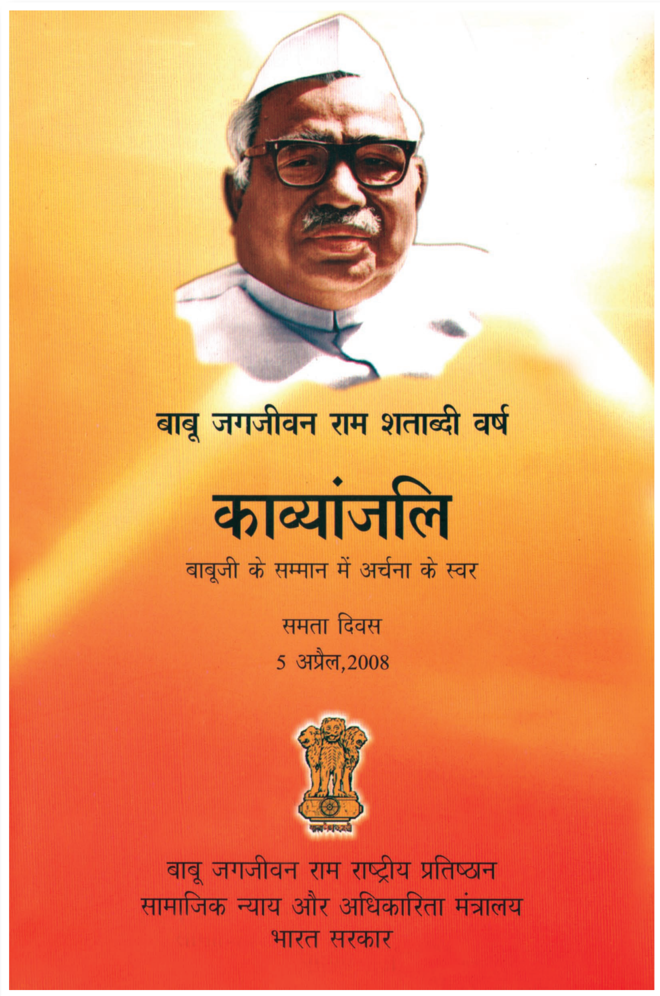

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार के पति श्री मंजुल कुमार द्वारा, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखित बाबूजी की जीवनी का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक में बाबूजी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और पचास वर्षों के उनके संसदीय जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

6 जुलाई, 2008 को पुण्य तिथि समारोह

1. 6 जुलाई, 2008 को बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः काल राजघाट के सामने समता स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्री / बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठाान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार और बहुत से विख्यात गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी समाधि पर बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके अलावा, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और बाबूजी के अनुयायियों ने बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की।

समता स्थल, राजघाट, नई दिल्ली में बाबूजी को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार

2. 6 कृष्णामेनन मार्ग, नई दिल्ली, जो भारत के भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का सरकारी निवास था सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई इस कार्यक्रम में भारी संख्या में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रीगण, बाबूजी के परिवार के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और बाबूजी के बहुत से अनुयायियों ने भाग लिया।

3. 7 जुलाई, 2008 को चंदवा, आरा, बिहार में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बिहार के हजारों लोगों ने बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की

अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार गेस्ट आफ ऑनर थीं। कार्यक्रम के समापन के पश्चात निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच भोजन के पैकेट का वितरण किया गया।

4. 8 जुलाई, 2008 को 'स्वतंत्रता के पश्चात के युग में भारत में बाबूजी का योगदान' विषय पर पटना प्लैनेटेरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा मीरा कुमार और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी इस कार्यक्रम में क्रमशः मुख्य अतिथि ओर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित हुए।

5. 9 फरवरी 2009 को संत गुरूदास की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर संत रविदास मंदिर, राजघाट, वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबूजी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा और फाउंडेशन के सदस्य सचिव ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। फाउंडेशन द्वारा संत रविदास का कैलेंडर प्रकाशित किया गया और इस अवसर पर संत गुरू रविदास के अनुयायियों के बीच कैलेंडर वितरित किया गया।

6. विभिन्न विश्वविद्यालयों में चेयर की स्थापना के लिए बाबू जगजीवन राम पीठ स्कीम तैयार की गई है जिसे अनुमोदनार्थ मंत्रालय को भेजा गया है।

7. शोषण के शिकार व्यक्तियों के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय राहत योजना पर भी कार्य आरंभ किया गया है।

8. निम्नलिखित पुस्तकों को मुद्रण हेतु आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है-

   (i) भारत में जातिगत चुनौती (1980) लेखक बाबू जगजीवन राम।

   (ii) जगजीवन राम - ए सेलेक्ट बिबलियोग्राफी (1908-1975) लेखक के.एल. चंचरीक

   (iii) स्ट्रगल्स एण्ड अचीवमेंट्स बाबू जगजीवन राम कमेमोरेशन वॉल्यूम - लेखक ए.सी. सिन्हा

   (iv) जगजीवन राम, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या - लेखक जगजीवन राम

   (v) श्री जगजीवन राम, जीवन और महानता - लेखिका सुमित्रा देवी

9. चंदवा, आरा (भोजपुर) में बाबूजी और माई जी की विशाल प्रतिमा संस्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

10. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने राजघाट, नई दिल्ली के सामने अवस्थित बाबू जगजीवन राम जी की समाधि समता स्थल का आस पास के अन्य समाधियों की ही भांति विकास करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ मामले को उठाया है।

11. मेसर्स टंडन बृज एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष 2008-2009 के लिए फाउंडेशन का लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

12. निम्नलिखित कर्मचारियों से मिलकर बनी निवेश समिति गठीत की गई है-

श्री वी.एन. डालमिया, कार्यकारी उपाध्यक्ष	-	चेयरमैन
श्री पी.के. सिन्हा, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा उनके नामिती)	-	सदस्य

श्री आर.एल. भगत, सदस्य सचिव, बीजेआरएनएफ	-	सदस्य
कोषाध्यक्ष, (बीजेआरएनएफ)	-	सदस्य सचिव
श्री बी.बी. टंडन, वाहृय लेखा परिक्षक	-	सदस्य

13. फाउंडेशन को आयकर प्राधिकारियों से निम्नलिखित आवश्यक चीजें भी प्राप्त हो गई हैं।

- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का पैन नं. एएएएबी 6869एम
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का टैन नं. डीईएलबी10223डी

वर्ष 2008-09 के दौरान माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की शासी निकाय की पाँच बैठकें और जनरल बॉडी की एक बैठक हुई

- 2 जून, 6 अक्टूबर, 17 नवम्बर, 29 दिसंबर 2008 और 16 मार्च 2009 को हुई शासी निकाय की बैठकों में निम्नलिखित प्रमुख संकल्प पारित किए गए।

  (i) चयनित 10 विश्वविद्यालयों/देशभर में फैली संस्थाओं में बाबू जगजीवन राम चेयर की स्थापना की जानी चाहिए।

  (ii) विभिन्न अखिल भारतीय परीक्षाओं में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन व परिणाम के लिए अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं की पहचान की योजना। 3 बालक और 3 बालिकाओं को क्रमशः 60,000 रूपए 50,000 रूपए और 40,000 रूपए का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

  (iii) श्रीमती इन्द्रानी देवी द्वारा लिखी गई 'देखी सुनी बीती बातें' सहित बाबूजी के जीवन से संबंधित सभी दुर्लभ और अप्रकाशित पुस्तकों को फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित कराया जाए।

  (iv) कायिक निधि को किसी ऐसे बैंक में निवेश किया जाना चाहिए जहां सबसे अधिक ब्याज दर मिलता है।

  (v) कार्यकारी उपाध्यक्ष, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय), फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष और सदस्य सचिव से मिलकर बनी निवेश समिति की नियुक्ति की जाए।

  (vi) चंदवा, आरा, बिहार में बाबूजी की प्रतिमा स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जाए।

  (vii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने का प्रस्ताव अपनाया गया।

  (viii) संत गुरू रविदास जी और अन्य दलित संतों का जन्म दिवस फाउंडेशन द्वारा मनाया जाए।

  (ix) शासी निकाय के सदस्यों की विमान यात्राओं को स्वीकृति दी गई।

  (x) बाबू जगजीवन राम नव चेतना स्कीम के कार्यान्वयन हेतु निधि सृजित की जाए।

  (xi) बाबूजी की जन्म तिथि पर शोभा यात्रा का आयोजन करने वाले आयोजकों को वित्तीय सहायता दी जाए।

  (xii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव का दर्जा डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के सदस्य सचिव के समकक्ष हो।

- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी की पहली बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में 7 मई, 2008 में हुई बैठक में निम्नलिखित संकल्पों को स्वीकार किया गया-

  (i) बाबू जगजीवन राम की जन्म वर्षगांठ मनाए जाने के उपलक्ष में प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

  (ii) बाबू जी पुण्यतिथि के अवसर पर 6 जुलाई को दिल्ली में समता स्थल पर और 7 जुलाई को चंदवा, आरा बिहार में उनकी समाधि पर फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

  (iii) चंदवा, आरा बिहार की समाधि का कोटि-उन्नयन और सैंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और उस जमीन का अधिकार जिसमें बाबूजी की समाधि है, राज्य सरकार से फाउंडेशन को अंतरित किया जाना चाहिए।

  (iv) चंदवा, आरा बिहार की समाधि परिसर की देखभाल और रख-रखाव फाउंडेशन द्वारा किया जाना चाहिए।

  (v) बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर विशेष रूप से बिहार में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए फाउंडेशन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संपर्क स्थापित करना चाहिए।

  (vi) फाउंडेशन द्वारा नियमित आधार पर एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित किए जाने हेतु योजना तैयार करना चाहिए।

  (vii) भारतीय कृषि में हरित क्रांति लाने में बाबूजी की भूमिका पर फाउंडेशन द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना चाहिए।

  (viii) प्रतिष्ठान को अपना वेबसाइट बनाकर इसका रखरखाव करना चाहिए।

  (ix) प्रतिष्ठान का कार्यकलाप बढ़ाने के लिए 6 कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली फाउंडेशन को आवंटित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क साधना चाहिए।

  (x) श्रीमती इन्द्रानी देवीजी द्वारा लिखी गई 'देखी सुनी बीती बातें' के चतुर्थ खंड का मुद्रण और प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

  (xi) प्रतिष्ठान को माननीय लोकसभा अध्यक्ष से संस्थानित आधार पर अनुरोध कर प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को संसद भवन परिसर में बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

3

अध्याय

वित्तीय स्थिति

2007-08

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है,

28 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार आरम्भिक शेष	--	1000 रूपए
31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	--	1000 रूपए

2008-09

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 28 मार्च, 2008 को जारी एक करोड़ रूपए का सहायता अनुदान बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को 3 अप्रैल, 2008 को प्राप्त हुआ।

30 जून, 2008 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के खाते में एक बारगी 50,00,00,000/- रूपए की कायिक निधि अंतरित की गई

फाउंडेशन के आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रूपए का सहायता अनुदान 12 जनवरी, 2009 को फाउंडेशन के खाते में जमा किया गया जिसकी प्रति अनुबंध V में दी गई है।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को कुल 54 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निवेश किया गया:-

(क)	10.7.2008 को 50 करोड़ रूपए	(इंडियन ओवरसीज बैंक, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली)
(ख)	10.7.2008 को 50 लाख रूपए	- तदैव -
(ग)	10.7.2008 को 20 लाख रूपए	- तदैव -
(घ)	10.7.2008 को 15 लाख रूपए	- तदैव -
(क)	09.2.2009 को 80 लाख रूपए	(स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन, नई दिल्ली)
(ख)	09.2.2009 को 80 लाख रूपए	- तदैव -
(ग)	09.2.2009 को 80 लाख रूपए	- तदैव -
(घ)	09.2.2009 को 60 लाख रूपए	- तदैव -

इस प्रकार कुल 54 करोड़ रूपए में से 53 करोड़ 85 लाख रूपए मियादी जमा में निवेश किया गया और शेष राशि फाउंडेशन के दिन प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए फाउंडेशन के बचत खाता में रखा गया।

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

1 अप्रैल, 2008 को आरंभिक शेष	1,000/- रुपये
प्राप्तियांः-	
कायिक निधि	50,00,00,000/- रूपए
सहायता अनुदान	4,00,00,000/- रूपए
ब्याज	34,81,382/- रूपए
वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	**54,34,82,382 रूपए**
वर्ष के दौरान कुल संदायगी/व्यय	28,24,726/- रूपए
31 मार्च, 2009 को अंतिम शेष	**54,06,57,656/- रूपए**
एफडीआर में	53,85,00,000/- रूपए
बचत बैंक खाता में	21,26,190/- रूपए
उपलब्ध नकद	31,446/- रूपए
कुल	**54,06,57,656/- रूपए**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के लेखापरीक्षित लेखे अनुबंध VI में दिए गए हैं।

अनुबंध 1

सं. एम-11012/26/2007-बीसी
योजना आयोग
(बीसी एण्ड टीडी प्रभाग)

कमरा सं. 318ए, योजना भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 3 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय- बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान की स्थापना किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषयक आपके अ.शा. पत्र सं. 19020/11/2007-(एस.सी.डी.-II) दिनांक 26 जून, 2007 की ओर ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रूपए की एक बारगी कायिक निधि से बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन की स्थापना किए जाने हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

ह/-
डॉ. एम.एल. माथुर,
उप-सलाहकार (बीसी एण्ड टीडी)
दूरभाष - 23096781

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
(श्री आर.एस.मीना, निदेशक)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषितः- सलाहकार (पीएएमडी) योजना आयोग, नई दिल्ली

डॉ. एम.एल. माथुर,
उप-सलाहकार (बीसी एण्ड टीडी)

अनुबंध 2

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

Registration No. S/ 61519 **/2008**

I hereby certify that " BABU JAGJIVAN RAM NATIONAL FOUNDATION"

located at 739 A Shastri Bhawan New Delhi- 110001

has been registered*under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Given under my hand at Delhi on this 14 **day of** March **Two Thousand Eight.**

Fee of Rs. 50/- Paid

Balwant Singh

(BALWANT SINGH)

REGISTRAR OF SOCIETIES

GOVT. OF NCT OF DELHI

DELHI

Seal

Registrar of Societies

Delhi

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

For Babu Jagjivan Ram National Foundation

अनुबंध 3

बाबू जगजीवन राम की स्मृति में जन्मशती बिदाई भाषण में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील का भाषण

संसद भवन, नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2008

देवियों और सज्जनों,

बाबू जगजीवन राम की स्मृति में आयोजित जन्मशती विदाई भाषण देते हुए मुझे गर्व हो रहा है। बाबूजी, जिस नाम से वे लोकप्रिय थे, उनके जन्म के सौ वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में समारोह का आयोजन हमारे देश के सबसे महान नेताओं में से एक को दी जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

बाबू जगजीवन राम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया। राष्ट्रीय नेता और सांसद के रूप में उनकी सशक्त उपस्थिति थी और उन्होंने भारत के राजनैतिक और संवैधानिक

विकास को स्वरूप देने में और सामाजिक परिवर्तन लाने में भी पांच दशक से अधिक समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कार्य के प्रति उनका समर्पण, मानवीय गरिमा में उनकी आस्था और किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं रखने और सभी के प्रति दया भाव रखने संबंधी उनके दर्शन के कारण वे अनुपम व्यक्तित्व बन गए।

उनका जीवन हम लोगों के लिए सबक है कि व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है और कठिन परिस्थितियों, अड़चनों और चुनौतियों के बावजूद समाज और देश के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकता है। सन् 1908 में अत्यंत दलित परिवार में जन्म लने के बाद अल्पायु में ही उनके ऊपर से पिता का साया हट गया।

अबोध जगजीवन राम के पालन पोषण की जिम्मेवादी उनकी माता की थी जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह सुनिश्चित किया कि बाबू जगजीवन राम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इसे पूरा कर सके। यह शिक्षा ही थी जिससे बाबू जगजीवन राम को राष्ट्र और समाज की सेवा करने की क्षमता प्राप्त हुई आज भी, लोगों का जीवन सुधारने के लिए और समाज में उपेक्षित वर्गों की अधिकारिता के लिए शिक्षा एक आधार और मूलभूत आवश्यकता है। सरकार, समाज और परिवारों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित करें।

जगजीवन राम की मां जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे को शिक्षा मिले, उनकी ही तरह मैं सभी माता पिता से आह्वान करती हूं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे, बालक, बालिका दोनों स्कूल जाएं।

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता और दायित्व है। दलित और उपेक्षित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए हमें विशेष प्रयास करना है। बहुत से ऐसे होनहार लड़के और लड़कियां हैं जिनमें समाज के लिए कुछ करने की छिपी हुई प्रतिभा और भावना है। तथापि उनकी क्षमता की पहचान की जानी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के प्रयोजनार्थ इसे एक दिशा प्रदान किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक नेताओं को आगे आकर ऐसे छात्र, छात्राओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि बाबू जगजीवन राम के जीवन की ही तरह युवकों की आरंभिक प्रतिभा, आशावाद और आदर्श को मुखरित होने का पर्याप्त अवसर मिल सके। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निमित्त शिक्षा योजनाओं को लागू किया जाए और इनकी उचित निगरानी हो। इसके अलावा ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों को सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आने में मदद मिलेगी। छात्रावास सुविधा, पौष्टिक आहार ओर अतिरिक्त कोचिंग क्लास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे जानकारी मिली है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना इस वर्ष शुरू की गई है जिसके अंतर्गत छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यह योजना बाबूजी के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि है जो जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत रहे। यह भी हर्ष की बात है कि उनकी पुत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार के ऊपर इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व है। निश्चित तौर पर एक उज्जवल भारत और अपने पिता के दर्शन का लक्ष्य इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने में सशक्त प्रेरणा स्रोत होगा।

बाबू जगजीवन राम द्वारा निर्धारित मानक और उनके आदर्श अनुकरणीय है। वे सभी व्यक्ति जो अनके संपर्क में आए, उन्होंने उनकी बौद्धिक क्षमता, स्पष्ट विचार और संगठनात्मक कौशल की सराहना की। पं. मदन मोहन मालवीय युवा जगजीवन राम से इतना अधिक प्रभावित हुए कि जब वे 1925 में उनसे आरा में मिले तो उन्होंने जगजीवन राम को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस 1928 में उनसे कलकत्ता में मिले जब

उन्होंने मजदूर रैली का आयोजन किया था जिसमें लगभग 50000 लोगों ने भाग लिया। इसी प्रकार 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद एक राहत कैम्प स्थापित करने पर गांधी जी ने भी उनके कार्य की सराहना की।

1937 में बाबूजी दलित वर्ग लीग के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। सरकार बनाने के लिए अंग्रजों ने उन्हें ढेरे सारा धन और मंत्रीपद की पेशकश कर उनका समर्थन मांगा किन्तु बाबूजी ने अंग्रजों की पेशकश को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्रता सैनानियों के साथ जाना पसंद किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता इस तरह की देशभक्ति से प्रभावित हुए और गांधी जी ने कहा कि जगजीवन राम कठिन परीक्षा में शुद्ध सोने की तरह उभरा है। उसके बाद के कार्यो में भारत की आजादी ओर समाज सुधार के लिए बाबूजी की महती राजनीतिक भागीदारी रही। बाबू जगजीवन राम ने सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें दो बार जेल हुई, देश के कोने कोने में भारतवासी भारत की आजादी के लिए अपना जीवनसुख व्यवसाय धन और सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार थे। बाबूजी जैसे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा दिखाई गई त्याग की भावना, देशभक्ति के कृत्य और सत्यनिष्ठा आधुनिक भारत के निर्माण हेतु हमारा मार्गदर्शन करती है। संविधान के निर्माताओं में से एक ओर संविधान सभा के महत्वपूर्ण नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम ने सामाजिक समता और सामाजिक न्याय को हमारे संविधान में उल्लिखित आदर्शों में शामिल करने की आश्यकता पर बल दिया।

सामान्य तौर पर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और विशेष रूप से शोषित वर्ग का उत्थान उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास यात्रा भी होनी चाहिए। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। हम आशा करते हैं कि एक राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के रूप में हम निन्तर आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही यह हमारा संवैधनिक और नैतिक कर्तव्य है कि कमजोर और सीमांत वर्गों को विकास की धारा से जोड़ा जाए। ऐसी विकास प्रक्रिया जो धनी और निर्धन के बीच, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, प्रदेशों ओर समूहों के बीच तथा महिला और पुरूष के बीच अंतर को समाप्त करती है। समावेशी एजेंडा है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए।

बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे जिन मंत्रालयों क्षेत्रों ओर मुद्दों से उनका वास्ता पड़ा उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। सन् 1947 से 1952 तक भारत के पहले श्रम मंत्री के रूप में श्रम कल्याण के लिए नीतियां और कानून बनाया और देश की उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक योगदान दिया। सन् 1952 से 1956 तक संचार मंत्री के रूप में उन्होंने निर्णय किया कि सभी जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज ओर सभी प्रमण्डलों में पब्लिक कॉल ऑफिस खोला जाए। इस तरह के दूरदर्शी कदम से संचार नेटवर्क का बहुत अधिक विस्तार हुआ।

खाद्य और कृष मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ने देश को भीषण सूखे की स्थिति से बाहर निकाला, हरित क्रांति लाई और भारत पहली बार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। बाबूजी ने कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताओं को नया स्वरूप दिया और कृषि अनुसंधान प्रबंध प्रणाली को इस तरह से नीवकृत किया जिसमें वैज्ञानिक कुशलता और किसानों के अनुभव का अद्भुत संयोग था। अब हमें दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता है जिससे भारत कृषि क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। मेरा नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और किसानों से आग्रह है कि वे इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करे।

गांधीजी ने कहा था, 'मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें अत्यंत गरीब व्यक्ति महसूस करेगा कि यह उनका देश है और जिसके बनाने में उनकी आवाज सुनी जाती है एक ऐसा भारत जहां कोई उच्च वर्ग और निम्नवर्ग का नहीं होगा, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय को लोग सद्भावपूर्वक रहेंगे।'

बाबूजी इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। जुलाई, 1986 में उनका निधन हो गया। उनके निधन से एक ऐसे युग का अंत हो गया जो शायद आजादी के पहले से लेकर आजादी तक ओर वहां से एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज की यात्रा के महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी विरासत जीवित रहेगी ओर इससे युवा पीढ़ियों को सामाजिक और राजनैतिक क्रिया-कलाप तथा एक बेहतर समाज की सतत खोज के लए निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबू जगजीवन राम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

धन्यवाद,

जय हिन्द!

अनुबंध 4

5 अप्रैल, 2008 को बाबू जगजीवन राम की जन्म शती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता के बाद के भारत के सबसे महान नेताओं में से एक थे। उनका जीवन लोकतांत्रिक भारत में दलितों की आजादी और उनकी प्रगति का द्योतक है। इस शुभ अवसर पर अपने राष्ट्र के विकास और अपने लोगों के सशक्तिकरण में उनके महान योगदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है।

बाबूजी के जीवन और कार्य से आज भी निरंतर प्रेरणा मिलती है। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी, एक सच्चे धर्म-निरपेक्षतावादी, एक महान प्रशासक और भारत माता के सपूत थे। कृतज्ञ राष्ट्र को उनकी उल्लेखनीय जनसेवा से प्रेरणा मिलती है। जन्मशती समारोहों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके विचार ओर योगदान को फिर से पता लगाने, पुनः निर्वाचित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जाना शामिल है। इनसे उनकी स्मृति को कायम रखने और भारत की नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाबूजी के विशिष्ट योगदान के बारे में समझने में मदद मिलती है।

मैं इस अवसर के उपलक्ष में हाने वाली क्रिया कलापों की सूची पढ़ रहा था। मुझे खुशी है कि बहुत से प्रमुख व गणमान्य व्यक्तियों ने इन कार्य कलापों में भाग लिया और बाबूजी जैसे महान व्यक्तित्व के कई पक्षों को रेखांकित किया गया। एक युवक के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और स्वयं महात्मा गांधी ने उनके कार्य की सराहना की। उन्हें सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कठिनाईयों से जूझना पड़ा फिर भी वे इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने स्कूल के दिनों से ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाबूजी उन सभी व्यक्तियों के लिए आदर्श बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य ध्येय सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। अतः उनकी जन्मशती समारोह का आयोजन एक वैश्विक विचारधारा का समारोह है जिसके पक्ष में वे आजीवन संघर्षरत रहे।

इतिहास सर्वदा ऐसे व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक याद करता है जो अपनी मान्यता व विश्वास के पथ में दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहते हैं। बाबू जगजीवन राम ऐसे सम्मानित नेता थे जिनकी राष्ट्रसेवा और दलित एवं उपेक्षित वर्ग के प्रति कटिबद्धता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

उनका साहस पहली बार सन 1935 में उजागर हुआ जब उन्होंने हिन्दू महासभा के एक सत्र में मंदिरों, कुएं के जल, निजी विद्यालयों में दलितों के प्रवेश की मांग करते हुए संकल्प जारी किया था। बाबूजी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यदि उनका संकल्प स्वीकृत नहीं हुआ तो वे सभा से बाहर चले जाएंगे। पुरी के शंकराचार्य जैसे रूढ़िवादियों के नेतृत्व में विरोधी व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किए जाने के बावजूद वे अंततः सफल रहे। उपेक्षित मानव वर्ग के लिए समता और न्याय के लिए इस साहसिक कदम के लिए उनकी प्रशंसा की गई।

उनके उदारवादी सिद्धांत और जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उस समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई जब उन्होंने दलितों के लिए पृथक मतदाता वर्ग का विरोध किया था। वे चाहते थे कि दलितों को बंधनमुक्त किया जाय न कि पृथक रखा जाए।

इस विचाराधारा से उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित सामाजिक एकता के वृहत्तर दर्शन को कार्य रूप दिया। आखिरकार, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अलग मतदाता सूची बनाने का अभियान चलाया था वे अपने प्रस्ताव के विरूद्ध दिए गए तर्क से सहमत हुए और गांधी जी की विचारधारा से सहयोजित हुए।

बाबूजी एक उत्कृष्ट संसदविद्, पंडितजी, शास्त्रीजी, इंदिराजी और मोरारजी भाई के कैबिनेट के गणमान्य सदस्य और अत्यधिक सम्मानित प्रशासक थे। गरीबी और भूख की लड़ाई के साथ-साथ बाहरी आक्रमण की लड़ाई के लिए उनसे परामर्श लिया जाता था। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व अद्‌भुत था। हर तरह से उनका नेतृत्व अनुपम था। मुझे ऐसा लगता है कि इन मुद्‌दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समाचार पत्रों में मैंने हरित क्रांति में बाबू जगजीवन राम जी के योगदान के बारे में प्रो. एम एस स्वामीनाथन का एक आलेख पढ़ा। इससे कृषि के आधुनिकीकरण और हमारी उत्पादकता बढ़ाने में बाबूजी के सक्रिय नेतृत्व का प्रमाण मिलता है।

सीमा पार से होने वाले आक्रमण का सामना करने में रक्षा मंत्री के रूप में उनकी भूमिका के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। बंगलादेश की आजादी के समय वे सचमुच सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इंदिराजी के ठीक आगे खड़े होकर उन्होंने हमारी जनता और हमारे जवानों को सच्चे अर्थ में प्रेरित किया था।

मुझे बहुत अधिक खुशी है कि बाबूजी की जन्मशती समारोह के संबंधित कार्य कलापों से हमारे लोगों को उनके जीवन और कार्य के बारे में फिर से जानने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि उनके जन्मशती समारोह के आयोजन से हम सभी को सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास हेतु उसी तरह से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी जिस तरह से बाबू जगजीवन राम जीवन पर्यन्त करते रहे।

अनुबंध 5

सं. 19020/11/2007 एससीडी-VI
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
27 मार्च, 2008

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

विषय :- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान के रूप में 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपए) की धनराशि जारी किया जाना।

महोदय,

मुझे चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को 1,00,00,000 रूपये (एक करोड़ रूपए) की धनराशि जारी किए जाने हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति दिए जाने संबंधी उल्लेख करने का निर्देश हुआ है यह नीचे दी गई निर्बधन व शर्तों के अध्यधीन होगी:

1. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान जीएफआर के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा (अर्थात वित्त वर्ष 2007-08 के समाप्त होने 18 माह बाद)
2. इस धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन से होना चाहिए जिसके लिए दिया गया है। धनराशि के उपयोग की सावधिक प्रगति मंत्रालय को भेजी जाए। शेष धनराशि, यदि कोई हो, तो वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को वापस की जाएगी अथवा अनुवर्ती अनुदान में समायोजित की जाएगी।
3. मंत्रालय का आहरण एवं संवितरण अधिकारी बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को इसके बचत खाता सं. 17335 इंडियन ओवरसीज बैंक, 70 गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से आहरण के लिए 1,00,00,000/- एक करोड़ रूपये की धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत है।
4. यह व्यय वर्ष 2007-08 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की मांग सं. 87 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के मुख्य शीर्ष 2225,01 अनुसूचित जातियों के कल्याण और अन्य व्यय, 28 बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, 00-31 सहायता-अनुदान (योजना) के नामे खाते देय है।
5. इसे आंतरिक वित्त प्रभाग डायरी सं. 4266/जेएस एण्ड एफए/08 दिनांक 27.03.2008 के अनुमोदन से मंत्रालय में निहित शक्तियों के अंतर्गत जारी किया गया है।
6. प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्वीकृति को अनुदान पंजी के क्रमांक 1 में प्रविष्ट किया गया है।

भवदीय
ह./-
(एन. शरण)
उप-सचिव।

1. सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान,
2. बजट अनुभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
3. योजना वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. लेखापरीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
5. गार्ड फाईल

ह./-
(एन. शरण)
उप-सचिव।

मि. सं. 19020/11/2007 - एससीडी-VI

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17 जून 2008

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषयः बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली को 50,00,00,000/- रूपए (केवल पचास करोड़ रूपए) की एक मुश्त कयिक निधि को जारी करने हेतु।

महोदय,

मुझे बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नई दिल्ली को 50,00,00,000/- (केवल पचास करोड़ रूपए) की धनराशि के एक कायिक निधि को जारी करने हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी के संबंध में सूचित करने का निर्देश हुआ है। यह निम्नलिखित निर्बधन तथा शर्तों के अधीन होगीः

(i) 'बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान' के लिए यह कायिक निधि 'एक मुश्त अनुदान' होगी।

(ii) यह कॉर्पस फंड अक्षुण्ण रहना चाहिए तथा प्रतिष्ठान के वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए इस फंड के निवेश से प्राप्त होने वाला ब्याज लाभ सहित आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों का ही केवल उपयोग किया जाएगा। आंतरिक संसाधनों का सृजन उच्चतम हो तथा इसके परिणामस्वरूप फाउंडेशन स्व. निर्भरता की स्थिति प्राप्त कर लेगा।

(iii) इस कायिक निधि को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश किया जाएगा।

(iv) अनुदानग्रही संस्थान/संगठन अर्थात बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, के लेखे, फाउंडेशन से जब भी अपेक्षित हो, मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण तथा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के उपबंध के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध होने चाहिए।

(v) 'बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान' का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, अनुदानग्राही संगठन के उत्तवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर संसद के पटल पर रखे जाएंगे।

(vi) 'बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान' को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद ही मंजूरीदाता प्राधिकारी अर्थात सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के समक्ष उपलब्धि-सह-कार्य निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(vii) मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र जीएफआर-39 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक अनुदान पंजी रखनी होगी।

(viii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, जीएफआर के अनुसार एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 की समाप्ति से 18 महीनों के पश्चात)।

(ix) केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु ही अनुदान राशि का अनिवार्यत उपयोग होगा। निधि के उपयोग पर होने वाली मियादी प्रगति की सूचना मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

(x) यह समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा समय समय पर जारी होने वाले सरकारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

2. मंत्रालय के आहरण और संवितरण अधिकारी की बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, के बचत बैंक खाता - 17335 इंडियन ओवरसीज बैंक, 70 गोल्फ लिंक नई दिल्ली-3 में आदाता बैंक के माध्यम से 50,00,00,000/- रूपये (केवल पचास करोड़ रूपये) की धनराशि का संवितरण करने के लिए आहरण हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. यह व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मांग सं. 88 के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए प्रमुख शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 01 अनुसूचित जाति का कल्याण 800 अन्य व्यय (लघु शीर्ष) 28 बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, 00-31, सहायता अनुदान (योजना) के नाम डाला जाएगा।

4. यह आदेश मंत्रालय में निहित शक्तियों के अधीन और आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति से डायरी सं. 4791/सं.स तथा वि. सं. /08-09 दिनांक 04.06.2008 के द्वारा जारी किया जाता है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्वीकृति अनुदानों के रजिस्टर में क्रम सं. 1 पर नोट कर ली गई है।

भवदीय,

ह-/

उप-चिव, भारत सरकार

प्रति

1. सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नई दिल्ली
2. बजट और नकद अनुभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3. उप सचिव (बजट ओर सां.वि.प्र.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
4. योजना वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6. निदेशक वित्त, केंद्रीय राजस्व, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली
7. गार्ड फाइल/उपयोगिता प्रभाग पत्र फाइल/उपलब्धि सह कार्य निष्पादन प्रतिवेदन फाइल

ह./-

(एन. शरण)

उप सचिव, भारत सरकार

मि. सं. 19020/11/2007 - एससीडी-VI

भारत सरकार

समामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
31 दिसम्बर, 2008

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषयः बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नई दिल्ली को 3,00,00,000/- (केवल तीन करोड़ रूपए) की धनराशि प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के चालू वर्ष 2008-09 के दौरान आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए 3,00,00,000/- (केवल तीन करोड़ रूपए) की धनराशि को सहायता अनुदान के रूप में जारी करने हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी के संबंध में सूचित करने का निर्देश हुआ है। यह निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तो के अधीन होगी।

(i) यह अनुदान निवेश पर ज्यादा ब्याज दर लाभ देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा।

(ii) इस अनुदान को समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत जारी किया जाएगा।

(iii) अनुदानग्राही संस्थान/संगठन के खाते संस्थान/संगठन से जब भी अपेक्षित हो, मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण तथा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के उपबंध के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध रहने चाहिए।

(iv) संस्थान/संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, अनुदानग्राही संगठन के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति क नौ माह के भीतर संसद के पटल पर रखे जाएंगे।

(v) अनुदानग्राही संस्थान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद ही उपलब्धि-सह-कार्य-निष्पादन-प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(vi) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान जीएफआर के अनुसार एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा (अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 की समाप्ति से 18 महीनों के पश्चात)।

(vii) केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु ही अनुदान धनराशि का अनिवार्य उपयोग होगा। निधी के उपयोग पर होने वाली मियादी प्रगति की सूचना मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

(viii) फाउंडेशन द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन को अंतिम रूप दिए जाने तक, प्रतिष्ठान द्वारा सभी व्यय आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्ति के उपरांत ही किए जाएंगे और ऐसे सभी प्रस्ताव मंत्रालय के संबंधित ब्यूरो प्रमुख के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

(ix) फाउंडेशन के बैंक खाते को संबंधित संयुक्त सचिव (जो शासी निकाय के सदस्य भी हैं) तथा फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

2. मंत्रालय के आहरण और संवितरण अधिकारी को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के बचत बैंक खाता 17335 इंडियन ओवरसीज बैंक, 70, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली 110003 में आदाता चैक के माध्यम से 3,00,00,000/- रूपये केवल तीन करोड़ रूपए की धनराशि का संवितरण करने के लिए आहरण हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. यह व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मांग सं. 88 के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए प्रमुख शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 01 अनुसूचित जाति का कल्याण 800 अन्य व्यय (लघु शीर्ष) 28 बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, 00-31, सहायता अनुदान (योजना) के नाम डाला जाएगा।

4. यह आदेश मंत्रालय में निहित शक्तियों के अधीन और आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति से डायरी सं. 2459/डीएस(आईएफडी)/08-09 दिनांक 22.12.2008 के द्वारा जारी किया जाता है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्वीकृति "अनुदानों के रजिस्टर" में क्रम सं. 1 पर नोट कर ली गई है।

भवदीय,

ह./-

संयुक्त सचिव

प्रति,

1. सदस्य सचिव, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नई दिल्ली
2. बजट और नकद अनुभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3. उप सचिव (बजट ओर सां.वि.प्र.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
4. योजना वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6. निदेशक वित्त, केंद्रीय राजस्व, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली
7. गार्ड फाइल

ह/-

(पी.पी. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

अनुबंध 6

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाष 23622220, 23520976

प्ररूप सं. 10खख

(नियम 16गग देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (235) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट धारा, 10(23ग) के उपखंड (IV) या उपखंड (V) या उपखंड (VI) या उपखंड(VIक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामले में।

(i) हमने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम) के तारीख 31 मार्च, 2009 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न आय और व्यय या लाभ और हानि लेखा की जांच की है।

(ii) हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र ओर आय तथा व्यय लेखा या लाभ ओर हानि लेखे उनके शून्य स्थित मुख्यालय और शून्य स्थित शाखाओं द्वारा रखी गई लेखाबहियों के अनुरूप है।

(iii) नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए....

(क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं ओर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी ओर विकास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा लेखाबहियों की जांच से प्रतीत होता है, उपर्युत नामित निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मुख्यालय या शाखाओं द्वारा उपयुक्त लेखाबहियां रखी गई हैं।

(ग) हमारी राय में और हमारी सवोत्तम जानकारी में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त बहियों तथा उन पर के टिप्पणों यदि कोई हो, में निम्नलिखित के संबंध में -

(1) तुलन पत्र की दशा में, तारीख 31 मार्च, 2009 को ऊपर नामित निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के कार्यकलापों की और

(2) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष या कमी अथवा लाभ या हानि की, सत्य और सही जानकारी दी गई है

विहित विशिष्टयां इसके साथ उपबद्ध हैंः

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 31 अगस्त, 2009

<u>अनुबंध</u>

105-106 एआरए सेंटर, ई-2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं. **जारी पत्रक सं....................**

उपाबंध
विशिष्टियों का विवरण
भाग क-साधारण

1.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम	:	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
2.	पता	:	कमरा नं. 7, 9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
3.	स्थायी खाता संख्या	:	एएएएबी6869एम
4.	निर्धारण वर्ष	:	2009-2010
5.	धारा 10(23ग) का उपखंड, जिसके अधीन निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा छूट की मांग की जा रही है।		
6.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अधिसूचना संख्यांक और तारीख अनुमोदन		

भाग-ख-पूर्त या धार्मिक या शैक्षणिक या परोपकारी प्रयोजनों के लिए आय का उपयोग।

7.	पूर्त/धार्मिक/शैक्षणिक/परोपकारी कार्यकलाप की प्रकृति (धारा 10(23ग) के उपबंध (iv), (v), (vi), या (viक) में यथानिर्दिष्ट)	:	पूर्त न्यास
8.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की पूर्व वर्ष की कुल आय	:	30,82,382.00 रुपए
9.	पूर्व वर्ष की आय की रकम जो उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए वह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से वर्ष के दौरान उपयोजित की गई है।	:	28,24,726.00 रूपए।
10.	पूर्व वर्ष की आय की रकम जो उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए यह स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से उपयोजन के लिए उस सीमा तक जिस तक उस वर्ष की आय के 15% से अधिक नहीं है, संचित की गई है	:	शून्य
11.	धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित आय की रकम, जो वर्ष की आय के 15% से अधिक है।	:	शून्य
12.	(क) क्या वर्ष के दौरान ऐसी आय का कोई भाग, जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संचित आय के 15% से अधिक नहीं है, उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया या जिनके लिए यह स्थापित किया है या उसके बाबत उपयोजन के लिए संचित नहीं किया गया है।	:	लागू नहीं

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित आय का या उस आय का जो संचित नहीं रही, ब्यौरा दीजिए।

13. (क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय का कोई भाग जो उस आय के 15% से अधिक है जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित की गई थी, उन उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था, उपयोजित किया गया था या उसकी बाबत उपयोजन के लिए संचित नहीं किया गया है? : लागू नही

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित आय का या उस आय का, जो संचित नहीं रही, ब्यौरा दीजिए।

14. (क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान किसी पूर्वर्ती वर्ष की आय का ऐसा भाग जो उस आय के 15% से अधिक है और जो उस वर्ष में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (क) के अनुसार संचित की गई थी, उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए उस अवधि के दौरान जिसके लिए उसे संचित किया जाना था उपयोजित नहीं किया गया था? : लागू नहीं

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार उपयोजित न की गई आय की रकम के साथ-साथ उसका पूरा ब्यौरा दीजिए।

भाग ग-अन्य सूचना

15. (क) क्या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों या स्वैच्छिक अभिदायों में भिन्न किन्हीं निधियों को धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों और ढंगों से अन्यथा पूर्व वर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए विनिहित या जमा किया गया था? : शून्य

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां तो निम्नानुसार ब्यौरा दीजिए

क्र.सं.	विनिधान या जमा का स्वरुप	विनिहित या जमा की गई रकम	विनिधान या जमा की अवधि

16. कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आय के संबंध में,-

(क) क्या कारबार निधि या न्यास या संस्था विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के उद्देश्यों की पूति के आनुषंगिक था? : नहीं

	(ख) क्या ऐसे कारबार की बाबत पृथक लेखा बहियां रखी गई थीं?	:	नहीं
	(ग) यदि उपर्युक्त (क) और/या (ख) का उत्तर 'नहीं' है तो ऐसी आय की रकम बताए	:	ब्याज से आय
17.	(क) क्या पूर्व वर्ष के दौरान संचित आय का कोई भाग धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था को संदत्त या जमा किया गया था?	:	शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार सदत्त या जमा की गई रकम में साथ साथ उसका ब्यौरा दीजिए।		
18.	(क) क्या किसी स्वैच्छिक अभिदाय को, जो नकद रूप से स्वैच्छिक अभिदाय या धारा 10(23ग) के तीसरे परन्तुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न है, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप या ढंग से भिन्न रूप में पूर्व वर्ष के दौरान धारित किया गया था।		शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की रकम को सम्मिलित करते हुए उसका ब्यौरा दीजिए।		
19.	(क) क्या वर्ष के दौरान, धारा 115खखग में निर्दिष्ट कोई अज्ञात संदान प्राप्त किया गया था? (टिपपण 2 और 3 देखिए)	:	शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे अज्ञात संदान की रकम बताएं।		

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 31 अगस्त, 2009

टण्डन बृज एण्ड कं.

दूरभाष 23622220, 23520976
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

प्ररूप सं. 10ख
(नियम 17ख देखिए)

पूर्त या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(ख) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

हमने तारीख 31 मार्च, 2009 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के यथा विद्यमान तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा की जांच की है और वे उक्त न्यास या संस्था द्वारा रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में जहां तक बहियों की सारी जांच से प्रतीत होता है नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हमारे द्वारा दौरा किए गए संस्थान ने लेखाओं की उचित बहियां रखी हैं और संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित संबंध में सत्य और सही जानकारी दी गई है-

(i) तुलन-पत्र की दशा में, तारीख 31 मार्च 2009 को ऊपर नामित संस्थान के क्रियाकलाप की स्थिति की और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में 31 मार्च, 2009 की समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्

ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए
सदस्यता सं. 8140
पैनः एएसीपीटी8125बी

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 31 अगस्त, 2009

105-106 आरए सेंटर ई-2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं. **जारी पत्रक सं...................**

उपाबंध
विशिष्टियों का विवरण
पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन

1.	पूर्व वर्ष की आय की वह रकम, जिसे उस वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया है।	:	28,24,726/- रुपये
2.	क्या संस्था ने धारा 11 के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है? यदि हां तो आय की उस रकम के ब्यौरे, जिसे पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया समझा गया है।	:	नहीं
3.	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के उपयोजन के लिए आय की राशि, उस सीमा तक कि यह न्यास के अधीन प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से उद्भूत आय के 15% से अधिक न हो।	:	शून्य
4.	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की राशि (ब्यौरे दें)	:	सम्पूर्ण आय अर्थात् 34,83,382/- रुपये।
5.	ऊपर मद 3 में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त धारा 11(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचयित या अलग से रखी गई आय की राशि	:	4,00,000/- रुपये
6.	क्या ऊपर मद 5 में उल्लिखित आय की राशि का कथित रीति में निवेश या निक्षेप किया गया है? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें।	:	लागू नहीं
7.	क्या उस आय के किसी भाग को, जिसकी बाबत पूर्ववर्ती किसी वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था, धारा 11(ख) के अधीन पूर्व वर्ष की आय माना गया है? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें।	:	लागू नहीं
8.	क्या किसी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचयित या अलग से रखी गई आय के किसी भाग को पूर्व वर्ष के दौरान-		
	(क) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया है या अब वह पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से उपयोजन के लिए संचयित या अलग से रखा जाता, या	:	नहीं
	(ख) धारा 11(2)(ख)(i) में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूमि में निवेश या धारा 11(2)(ख)(ii) या धारा 11(2)(ख)(iii) में निर्दिष्ट किसी खाते में निक्षेप नहीं किया जाता, या	:	नहीं
	(ग) उस अवधि के दौरान, जिसके लिए इसे संचयित या अलग रखा गया था, या उस अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चातवर्ती वर्ष में उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया था, जिन के लिए इसे संचयित किया या अलग से रखा गया था।	:	नहीं
(II)	धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या संपत्ति का उपयोजन या उपयोग	:	शून्य
(III)	पूर्व वर्ष (वर्षों) के दौरान किसी भी समय ऐसे समुत्थानों में धारित निवेश, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति सारवान हित रखते हैं।	:	शून्य

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा

प्राप्तियां	राशि	भुगतान		राशि
रोकड़ बैंक जमा	1,000.00	वेतन		4,83,834.00
कायिक निधि	50,00,00,000.00	विज्ञापन		15,168.00
अनुदान	4,00,00,000.00	वर्षगांठ व्यय		19,33,483.00
प्राप्त ब्याज	34,81,382.00	बैंक प्रभार		374.00
		सदस्यता सम्मेलन		75,000.00
		वाहन व्यय		14,450.00
		मनोरंजन व्यय		4,669.00
		बैठक शुल्क		11,738.00
		विविध व्यय		5,804.00
		डाक एवं कुरियर व्यय		8,426.00
		सामग्री मुद्रण		18,161.00
		वृत्तिक प्रभार		5,000.00
		कर्मचारी कल्याण व्यय		1,296.00
		दूरभाष व्यय		7,300.00
		दौरे व यात्रा व्यय		1,05,191.00
		फर्नीचर तथा जुड़नार		1,34,832.00
		एफडीआर में निवेश		53,85,00,000.00
		अंतिम शेषः-		
		नकद	31466.00	
		बैंक	2126190.00	
				21,57,656.00
	54,34,82,382.00			54,34,82,382.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 31 अगस्त, 2009

ह./-
सदस्य सचिव

ह./-
कोषाध्यक्ष

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

व्यय	राशि	आय		राशि
वेतन एवं मानदेय	4,83,834.00	प्राप्त ब्याज	30,81,382.00	
लेखापरीक्षा शुल्क	25,000.00	आय प्रकीर्ण	1,000.00	
विज्ञापन	42,136.00			30,82,382.00
वर्षगांठ व्यय	19,33,483.00			
बैंक प्रभार	374.00			
सम्मेलन व्यय	75,000.00			
वाहन व्यय	14,450.00			
मनोरंजन व्यय	4,669.00			
बैठक शुल्क	11,738.00			
विविध व्यय	5,804,00			
डाक और कुरियर व्यय	8,426.00			
सामग्री मुद्रण	3,32,370.00			
वृत्तिक प्रभार	5,000.00			
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,296.00			
दूरभाष व्यय	7,300.00			
दौरे और यात्रा व्यय	1,05,191.00			
व्यय पर आय अधिकता	26,311.00			
	30,82,382.00			30,82,382.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 31 अगस्त, 2009

ह./-
सदस्य सचिव

ह./-
कोषाध्यक्ष

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के अनुसार तुलन पत्र

देयता		राशि	आस्तियां	राशि
पूंजीगत खाता			**अचल आस्तियां**	
कायिक निधि	50,00,00,000.00		फर्नीचर और जुड़नार	1,34,832.00
संस्थापन निधि	4,00,00,000.00			
निर्भय भवन योजना			निवेश	
निधि	4,00,000.00		एफडीआर 1	50,00,00,000.00
लाभ और हानि लेखा	26,311.00	54,04,26,311.00	एफडीआर 2	50,00,000.00
			एफडीआर 3	35,00,000.00
			स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एफडीआर (1)	80,00,000.00
			स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एफडीआर (2)	80,00,000.00
			स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एफडीआर (3)	80,00,000.00
			स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एफडीआर (4)	60,00,000.00
चालू देयता			**चालू आस्तियां**	
विविध लेनदार		3,41,177.00		
संदेय लेखा परीक्षण शुल्क		25,000.00	नकदी	31,466.00
			बैंक खाते	21,26,190.00
		54,07,92,488.00		54,07,92,488.00

कृते टण्डन बृज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
ह./-
नाम बी.बी. टण्डन
एफसीए

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 31 अगस्त, 2009

ह./-
सदस्य सचिव

ह./-
कोषाध्यक्ष

105-108 एआरए सेंटर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055